

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

प्रक्रां : 1425 वाद सं० एल-0042 / एस-9 / 2024

दिनांक 03-06-2024

सेवा में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

श्री सिद्धार्थ मेहता/भू-स्वामी, स्थल विधौली रोड कण्डोली नियर यू०पी०ई०एस०लॉकालेज कण्डोली देहरादून द्वारा प्रश्नगत स्थल पर लगामा 08 से 09 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये भूमि का समतलीकरण, डिमाकेशन, सीसीओ सडक एवं भूखण्डों का विहितकरण/अनाधिकृत विकास कार्य कर ल्याटिंग की जा रही है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य करने के कारण उत्तराखण्ड (UDPO) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973, संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बतलो नोटिस की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद सं० एल-0042/एस-9/2024 योजित किया। जिसे निपक्षी द्वारा स्वयं ध्वस्त नहीं किया गया है। उक्त चालान शुदा निर्माण/विकास कार्य को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01-06-2024 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

anil k

अधिशाली अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

W

प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में

ध्वस्तीकरण कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।

2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल

(महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल्स) /समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं ध्वस्तीकरण हेतु जे०सी०बो० संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. श्री सिद्धार्थ मेहता/भू-स्वामी, स्थल विधौली रोड कण्डोली नियर यू०पी०ई०एस०लॉकालेज कण्डोली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है। अतः आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें। एवं स्थल से अपना सम्पत्त सामान हटा ले।

anil k
अधिशाली अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

